



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम,
जयपुर, मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(०३)आ.फा./न.नि.ज/11/21/24 दिनांक:- 3-1-12

प्रेषित:-

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- ख0 न: 87/290,90,92 व 129 टोक रोड ग्राम हेमा की नांगल तह0
सांगानेर जयपुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सरदार अजयपाल सिंह ख0 न: 87/290,90,92 व 129 टोक रोड ग्राम हेमा की नांगल तह0 सांगानेर जयपुर ने दिनांक 04.04.2011 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। अतः आवेदक श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सरदार अजयपाल सिंह ख0 न: 87/290,90,92 व 129 टोक रोड ग्राम हेमा की नांगल तह0 सांगानेर जयपुर ने उक्त भूखण्ड में जो बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने पर अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/रीको/जयपुर नगर निगम/राजस्थान आवसन मण्डल द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जयपुर नगर निगम

- पैनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को स्टील फ्लोर से 14 वीं मंजिल 33.23 मीटर व 45 मीटर ऊंचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
 5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुरूप पर्याप्त खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
 6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
 7. अस्थाई अग्निशमन अभिषां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इस भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड का मालिक/आवेदक व अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 9. भवन में धुओं निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
 10. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगी।
 11. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने के तीन वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्त अवधि में आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी। अवधि में कार्य पूरा नहीं होने पर उक्त की अवधि समय पर बढ़वानी होगी अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात अमानता राशि जप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगरपालिका जयपुर